सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग की अध्यक्षता में दिनांक–17.07.2018 को सम्पन्न ग्रामीण टोला सम्पर्क निश्चय योजना (GTSNY) एवं अन्य योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही

दिनांक–17.07.2018 को विभागीय समीक्षात्मक बैठक में अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग; नोडल पदाधिकारी, GTSNY एवं SQC / नोडल पदाधिकारी, राज्य योजना द्वारा निम्न निर्देश दिये गये:–

GTSNY संबंधित निदेश

1. सरकार के सात निश्चय में सम्मिलित GTSNY एक अति महत्वपूर्ण योजना है, जिसका ससमय कार्यान्वयन अति आवश्यक है। GTSNY अन्तर्गत कुल 4643 योजनाएँ है, जिनमें से 4119 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है तथा 41 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। GTSNY में शामिल सभी योजनाओं को इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य है। अवशेष बचे सभी 227 DPR दिनांक–26.07.2018 तक तकनीकी अनुमोदनोपरांत GTSNY कोषांग में समर्पित कर देने का निर्देश दिया गया।

2. GTSNY अन्तर्गत जिन योजनाओं का एकरारनामा किया जा चुका है, उन्हें विशिष्टि के अनुरूप गुणवत्ता के साथ यथाशीघ्र पूर्ण कराया जाय।

GTSNY पथों में GSB कार्य में Sand की मात्रा वांछित प्रतिशत से अधिक तथा Stone Metal/ Stone Chips की मात्रा निर्धारित प्रतिशत से कम मिलाये जाने की शिकायत प्राप्त हो रही है। निर्देश दिया गया कि GSB कार्य में Sand एवं Stone Metal/ Stone Chips की निर्धारित प्रतिशत का हर संभव अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। PCC M30 कार्य Mix Design करवा कर ही सम्पन्न कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। PCC कार्य में Screed Vibrator का इस्तेमाल अनिवार्यतः किया जाय तथा इसका Photograph संलग्न किया जाय। PCC पथांश में Thermocol/Plyboard से Contraction Joint नहीं बनाया जाय। Concrete Cutting Blade से ही 1/3 मुटाई में Contraction Joint बनाया जाय।

3. जिन योजनाओं में कार्यादेश निर्गत हो चुका है, उनका एकरारनामा 01.08.2018 तक सम्पन्न कर लिया जाय। कार्यादेश निर्गत योजनाओं में संबंधित संवेदक द्वारा एकरारनामा करने में कोताही बरती जाती है तो 01.08.2018 के बाद Security Money जब्त कर ली जाय तथा इसकी सूचना संबंधित अधीक्षण अभियंता को दी जाय तथा अधीक्षण अभियंता इस संबंध में लिखित रूप में प्रतिवेदन नोडल पदाधिकारी को समर्पित करें। अभियंता प्रमुख द्वारा यह भी निर्देश दिया गया कि संबंधित कार्यपालक अभियंता 19.07.2018 तक तुलनात्मक विवरणी बनाकर संबंधित अधीक्षण अभियंता को समर्पित करेंगे तथा अधीक्षण अभियंता 21.07.2018 तक निविदा का निष्पादन कर देंगे। तदनुसार 31.07.2018 तक सभी योजनाओं का एकरारनामा करते हुए MIS में Entry करना सुनिश्चित करेंगे।

4. अधीक्षण अभियंता अपने अधीनस्थ कार्य प्रमंडलों से एकरारनामा की स्थिति तथा एकरारनामा नहीं होने की स्थिति में संवेदक पर दंडात्मक कार्रवाई का प्रतिवेदन दिनांक–03.08.2018 को नोडल पदाधिकारी GTSNY को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे। यह उनकी व्यक्तिगत जिम्मेवारी समझी जाएगी।

5. जिन योजनाओं में एकरारनामा की प्रक्रिया सम्पन्न हो चुकी है, उनकी प्रविष्टि अविलंब MIS में करायी जाय। कार्य प्रमंडल, टिकारी के कार्यपालक अभियंता को इस संबंध में विशेष रूप से निदेशित किया गया।

6. जिन योजनाओं में निजी भूमि सन्निहित है, उनकी सतत लीज की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया गया।

7. GTSNY अन्तर्गत कुल 77 योजनाओं में ATR लंबित हैं। 15 दिनों के अंदर सभी लंबित ATR का Compliance करा लेने का निर्देश दिया गया।

8. विभिन्न कार्य प्रमंडलों के अधीन लगभग 1307 छूटे टोलों के संबंध में मा०स०वि०स०/अन्य से परिवाद प्राप्त हुए हैं। इन छूटे टोलों की सम्पर्कता की स्थिति की जांच कर विहित प्रपत्र– I एवं II (जो आपको उपलब्ध कराया गया है) में दिनांक– 25.07.2018 तक अवश्य समर्पित कर दिया जाय।

9. तीन योजनाओं की लागत की जांच हेतु अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, पूर्णियां ; एक योजना की लागत की जांच हेतु अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, गया एवं तीन योजनाओं की लागत की जांच हेतु अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, मुंगेर को पत्र दिया गया था, परन्तु अभी तक उनके द्वारा जांच प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है। उन्हें एक सप्ताह के अंदर जांच कर प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया।

10. सभी अधीक्षण अभियंता को निर्देश दिया गया कि GTSNY का साप्ताहिक अद्‌यतन प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक बुधवार शाम 04:00 बजे तक अनिवार्य रूप से भेजा जाय।

11. GTSNY अन्तर्गत जिन योजनाओं में RI/U है, उनमें भुगतान करने हेतु राशि की अधियाचना नहीं की जाय। Regrade हो जाने के बाद ही उन योजनाओं में भुगतान करने हेतु राशि की अधियाचना की जाय।

<u>राज्य योजना संबंधित निदेश</u>

1. योजना की भौतिक/वित्तीय प्रगति की अद्‌यतन प्रविष्टि MIS में किया जाय।

2. अधियाचना में इस बात का प्रमाण–पत्र दिया जाय कि अधियाचित राशि मापी पुस्त में वास्तविक रूप से दर्ज राशि के आधार पर है।

3. अधियाचना में राज्य योजना के अन्तर्गत प्रमंडल में चल रहे सभी कार्य सूचीबद्ध हो। प्रत्येक योजना के लिए अलग–अलग आवंटन की मांग न कर समेकित राशि की मांग की जाय।

4. Non-Starter योजनाओं (ऐसी योजना जिनकी स्वीकृति के एक वर्ष बीत जाने के बाद भी इसपर कोई व्यय नहीं हुआ है) को DROP करने का प्रस्ताव दिया जाय।

5. भौतिक रूप से पूर्ण योजनाओं का PCC (Project Completion Certificate) समर्पित किया जाय।

सभी कार्यपालक अभियंता द्वारा क्रमांक 1, 4 एवं 5 का अनुपालन एक सप्ताह के अन्दर करने की प्रतिबद्धता जाहिर की गई।

<u>FDR से संबंधित निदेश</u>

सभी कार्य प्रमंडलों को FRD में आवंटित राशि का UC समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया। ऐसे 43 प्रमंडलों की सूची भी पढ़ी गई जिनके यहाँ से अभीतक एक भी रूपये का UC उपलब्ध नहीं कराया गया है।

कार्य प्रमंडलों द्वारा एक सप्ताह के अन्दर पूर्ण अनुपालन करने की बात कही गई है।

PMGSY के ATR से संबंधित निदेश

1. कार्य प्रमंडलों को अवगत कराया गया कि NQM द्वारा लगाये गये (RI+U) की कुल संख्या अब 156 रह गई है। प्रमंडलवार सूची E-mail से भेजा जा चुका है तथा पुनः दो दिनों के अन्दर भेज दिया जाएगा। इनसे संबंधित ATR अगले दो सप्ताह के भीतर SQC कोषांग में जमा कर दी जाय।

2. SQM से संबंधित (SRI+U) की संख्या 6568 है जो अत्यधिक है। इसके Regrading की दर चिंताजनक है। अतः इसमें विशेष पहल कर इसकी संख्या शून्य करने की कार्रवाई की जाय।

राज्य के अन्य विभिन्न योजनाओं के ATR से संबंधित निदेश

जिन पथों में RI+U Grading निरीक्षण के दौरान दिया गया है, उनकी संख्या वर्तमान में 1500 है। इसमें से 164 पाँच वर्ष से अधिक के हैं। इन सभी पथों में आवश्यक सुधार कर ATR दो सप्ताह के अन्दर समर्पित करने का निदेश दिया गया।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही की समाप्ति की घोषणा की गई।

(अनुपालन– सभी मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता)

19/7/18

(सुभाष चन्द्र)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–मु०अ०–4(मु०) बैठक–25–02/2017– 2722 पटना, दिनांक– 19/7/18

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सह–सचिव, ब्राडा/ सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल/सभी कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल/ सभी परियोजना प्रबंधक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित एवं IT Nodal, ग्रामीण कार्य विभाग को विभागीय Website पर Upload करने हेतु प्रेषित।

19/7/18
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–मु०अ०–4(मु०) बैठक–25–02/2017– 2722 पटना, दिनांक– 19/7/18

प्रतिलिपिः– सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग को सादर सूचनार्थ समर्पित।

19/7/18
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–मु०अ०–4(मु०) बैठक–25–02/2017– 2722 पटना, दिनांक– 19/7/18

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव को माननीय मंत्री महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।

19/7/18
अभियंता प्रमुख